**समाचार.प्रकाषनार्थरू.**

**अवैध व बकायादारों के आज से नल संयोजन होंगे विच्छेद प्रातः 8 से रात्री 9 बजे तक जमा करा सकेगें नागरिक जलकर**

**संपत्तिकर के बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने की आज से होगी कार्यवाही**

**प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध नहीं कराने वाले भवन स्वामियों के तोड़े जायेगें अवैध निर्माण**

**30 जून तक प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध षुल्क में दी जा रही 20**

**रतलाम 24 मार्च । नगर निगम के संपत्तिकरए जलकरए राजस्वए विकास षाखाए लायसेंस वसूली व बकाया की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने समीक्षा कर दिये गये बकाया वसूली लक्ष्य की पूर्ति 31 मार्च तक करने के निर्देष के साथ ही अवैध व बकायादारों के नल संयोजन विच्छेदए संपत्तिकर के बड़े बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही करनेए प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध नहीं कराने वाले भवन स्वामियों के अवैध निर्माण तोड़े जाने के निर्देष संबंधितों को दिये।**

**निगम आयुक्त श्री झारिया ने जलकर वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देषित किया कि जलकर के ऐसे उपभोक्ता जिनकी बकाया राषि 5000 से अधिक है ऐसे बकायादारों के प्रतिदिन 500 नल संयोजन विच्छेद किये जाये साथ ही ऐसे अवैध नल संयोजनकर्ता जो कि अपने नल संयोजन को वैध नहीं करा रहे है उनके प्रतिदिन 100 अवैध नल संयोजन विच्छेद किये जायें।**

**उन्होने निर्देषित किया कि 31 मार्च तक जलकर काउन्टर प्रातः 8 से रात्रि 9 बजे तक खुले रखे जायें ताकि अधिक से अधिक जलकर की बकाया राषि जमा होने के साथ ही नागरिकों को भी सुविधा हो।**

**संपत्तिकर वसूली की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि संपत्तिकर के ऐसे बड़े बकायादार जो कि नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के बाद भी बकाया राषि जमा नहीं करा रहे उन्हे धारा 174 के तहत अंतिम सूचना**

पत्र जारी कर तय समय.सीमा में संबंधितों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाये साथ ही व्यावसायिक प्रतिश्ठानों की नपती का कार्य निरंतर जारी रखें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देषित किया दुकान एवं गुमटी किराये की 2000 से अधिक की राषि बकाया राषि होने पर 24 घन्टे में नोटिस जारी करें व तय समय सीमा में राषि जमा नहीं कराने पर संबंधितों की दुकान व गुमटी सील करने की कार्यवाही की जाये।

विकास षाखा की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने बकाया लीजरेंट व नामांतरण प्रकरणों की जानकारी लेकर विकास षाखा की विभिन्न योजनाओं की आवासीय कॉलोनियों में रिक्त भूखण्डों की सर्वे सूची प्रस्तुत करने के निर्देष दिये ताकि अचल संपत्ति अंतरण नियम के तहत रिक्त भूखण्डो के विक्रय की कार्यवाही की जा सकें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने लायसेंस षाखा के तहत वसूली की जानकारी लेते हुए निर्देषित किया कि नगर में कई ऐसे दुकानदार व व्यावसायिक प्रतिश्ठान होंगे जिन्होने लायसेंस नही बनवाया होगा या नवीनीकरण नहीं करवाया होगा इस हेतु दलों का गठन कर सर्वे का कार्य किया जाये।

नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत की छूट की अवधि को षासन द्वारा बढ़ाते हुए 30 जून किये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने नगर निगम इंजीनियर व कन्सलटेंट को निर्देषित किया कि वे अपने.अपने क्षेत्र में कम्पाउडिंग हेतु 100.100 नोटिस जारी करें तथा तय समय सीमा में कम्पाउडिंग नहीं कराने वाले भवन स्वामियों के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही करें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेषचन्द्र व्यासए मोहम्मद हनीफ षेखए जीण्केण जायसवालए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए श्री सत्यप्रकाष आचार्यए एमण्केण जैनए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए राजेष पाटीदारए ब्रजेष कुषवाहए मनीश तिवारीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख व कर्मचारी उपस्थित थे।

5 मालियों का 7 दिवस का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी

रतलाम 24 मार्च । गंगासागर टंकी के पास रोपे गये पौधो के रख रखाव हेतु नियुक्त माली अमर.मोहनए पुश्कर साल्वी.मोहनए लोकेन्द्र.रामसिंह व राजेष.अम्बाराम द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुार संबंधितों का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना.पत्र जारी किया गया।

24 मार्च को 136 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

**कचरा संग्रहण वाहनों ने कचरा संग्रहण हेतु लगाई 221 ट्रीप**

**रतलाम 24 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 24 मार्च गुरूवार को 136 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।**

**24 मार्च गुरूवार को डम्पर से 24220 किलोए टेª क्टर से 14595 किलोए मैजिक सूखा कचरा 59840 किलोए मैजिक गीला कचरा 38565 किलोए सेनेटरी वेस्ट 3ण्5 किलो व घरेलू हानिकारक कचरा 2ण्8 किलो इस तरह कुल 136226ण्3 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।**

**नगर निगम के विभिन्न करों से 16ण्08 लाख राजस्व प्राप्त हुआ**

**रतलाम 24 मार्च । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 24 मार्च गुरूवार को कुल राषि रूपये 16ए08ए486ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।**

**नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 24 मार्च गुरूवार को संपत्तिकर कार्यालय से 666669ए वसूली दल 550167 कुल 1216836ए जलकर कार्यालय से 150733ए वसूली दल 72000 कुल 222733ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 12880 व वसूली दल 113728 कुल 126608 लीजरेंट 39104ए लायसेंस 3205 इस तरह कुल राषि रूपये 16ए08ए486ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।**

**13 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा**

**दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन**

**बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त**

रतलाम 24 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 10 व दोपहर की षिफ्ट में 3 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

24 मार्च गुरूवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में बादल.दिलीपए अजय.विनोदए लीलाबाई पति फुलचन्दए राजबाई पति अर्जूनए कुलदीप.नारायणए झोन क्रमांक 2 में मीनाबाई पति किषोरए रवि.सुरेषए लक्ष्मीबाई पति दीपकए महादेव.हरकचन्दए महेष अन्नी व दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में जमनेष.बाबुलालए झोन क्रमांक 4 में दिनेष.बाबुलाल व सुनिताबाई पति षिवलाल इस तरह 13 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

## गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 24 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण

**करते हैए अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैंए खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 24 मार्च गुरूवार को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार विष्व मंगल टी स्टॉलए पिन्टू पर 500.500ए षैलेन्द्र पर 300ए महालक्ष्मी गन्ना पर 250ए दीपक पर 200ए महावीर निनामाए राजूए राकेष व अषोक पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईष दी।**

**स्पॉट फाईन की कार्यवाही सर्वश्री कुलदीप भट्टए विजय मेहनाए मनीश झांझोटए अंकित पुरोहितए राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।**

**स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषियो को पकड़ने का अभियान निरंतर जारी**

**1438 मवेषियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौषालाओं में भेजा**

**रतलाम 24 मार्च । नगर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेषियों को पकड़कर गौषालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 1438 मवेषियों को पकड़कर जिले की गौषालाओं में भेजा गया।**

**कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 24 मार्च तक 1438 मवेषियों को पकड़ा जाकर गौषालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 24 मार्च को अलकापुरी व राम मंदिर से 7 मवेषी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।**

**नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पषु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का**

**प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राषि रूपये 500६ वसूल करेगा।**

**षहर के 2821 ष्वानों का बधियाकरण**

**रतलाम 24 मार्च । शहर में आवारा ष्वानों के बधियाकरण हेतु जुलवानिया में निर्मित किये गये बधियाकरण केन्द्र 22 दिसम्बर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों से नियमानुसार पकड़ा जाकर बधियाकरण केन्द्र लाया जाकर उनका बधियाकरण किया गया जिसके तहत 24 मार्च तक 2821 ष्वानों का सफल बधियाकरण किया जा चुका है।**

**100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित**

**रतलाम 24 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टे ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।**
**रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।**

**नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण  को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।**

**नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री**
**सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क**

**रतलाम 24 मार्च । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।**
**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2<sup></sup>0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीटए ईंटए मुरमए मलबाए स्टीलए लकड़ीए प्लास्टिकए मोर्टरए साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।**

**ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें**
**रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही**
**रतलाम 24 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टे[a] षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस**

**षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

**ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000द्. एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500द्. प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100द्. रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।**

**नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।**

**3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए**

**स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित**

**पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

**रतलाम 24 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम**

**कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।**

**पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।**

**अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही**

**15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल**

**रतलाम 24 मार्च । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।**

**नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।**

**नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**

**रतलाम 24 मार्च । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।**

**निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।**

**गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर  कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 24 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।**

**निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।**

**प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।**

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही**

**रतलाम 24 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**
**वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**
**समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्24ण्03ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण्**